न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2023-066(GCMS2023-142)

आईदान पुत्र चूनाराम माली
निवासी फलोदी, तहसील फलोदी
जिला फलोदी

.अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. अमरचन्द पुत्र जयनारायण माली
   निवासी फलोदी, तहसील फलोदी
   जिला फलोदी
2. नथियों पुत्री जयनारायण पत्नी रमणलाल माली के का.मु.
   2.1. प्रकाशचन्द पुत्र नथियों पत्नी रमणलाल के का.मु.
   2.1.1.राहुल पुत्र प्रकाशचन्द माली
   2.1.2.बेना पत्नी प्रकाशचन्द माली
   2.1.3.कविता पुत्री प्रकाशचन्द माली
   2.1.4.मनिषा पुत्री प्रकाशचन्द माली
   2.1.5.रितिक पुत्र प्रकाशचन्द माली
   निवासीगण फलोदी, तहसील फलोदी
   जिला फलोदी
   2.2. पूर्णप्रकाश पुत्र नथियों पत्नी रमणलाल माली
   2.3. सत्यनारायण पुत्र नथियों पत्नी रमणलाल माली
   2.4. मीना (पत्नी पुखराज सोलंकी) पुत्री नथियों पत्नी रमणलाल माली
   2.5. रेखा (पत्नी महावीर) पुत्री नथियों पत्नी रमणलाल माली
   निवासीगण भैरूघर की सराय, मालियों का बास
   फलोदी,तहसील फलोदी, जिला फलोदी
3. बचियों पुत्री जयनारायण पत्नी मूलाचन्द माली
   निवासी पोकरण, जिला जैसलमेर
4. तेजाराम पुत्र नेनूराम जाट
5. सोनाराम पुत्र नेनूराम जाट
   दोनों निवासीगण लोहावट,
   जिला फलोदी
6. चौरूलाल पुत्र चूनाराम माली

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निवासी फलोदी, तहसील फलोदी
जिला फलोदी

7. गौतमचन्द पुत्र कंवरलाल के कायममुकामान-
   7.1. रमेश पुत्र गौतमचन्द माली
   7.2. अशोक पुत्र गौतमचन्द माली
   7.3. मथरा पत्नी गौतमचन्द माली
   7.4. सुखी पुत्री गौतमचन्द माली
   निवासीगण पोकरण, जिला जैसलमेर
8. अमरचंद पुत्र कंवरलाल
9. मोतीलाल पुत्र कंवरलाल
10. नेनाराम पुत्र कंवरलाल
11. लीला पत्नी नारायण
12. ढलुराम पुत्र नारायण
13. ओमप्रकाश पुत्र नारायण
14. श्रवण पुत्र नारायण
    (रेस्पो. संख्या 13 व 14 नाबालिगान जरिये कुदरती वलिया माता लीला पत्नी नारायण)
15. अरुणा पुत्री नारायण पत्नी महेन्द्र कुमार माली
16. राधा पुत्री कंवरलाल पत्नी रमणलाल माली
17. मीरो पुत्री कंवरलाल पत्नी सुगनलाल माली
    निवासीगण नयापुरा फलोदी
    तहसील फलोदी, जिला फलोदी
18. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार फलोदी

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 जनवरी 2023 न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी राजस्व वाद संख्या 268/2008 अनवान अमरचंद व अन्य बनाम आईदान आदि

उपस्थित-

श्री सुगनमल परिहार श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 3
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 18

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 27 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 268/2008 अनवान अमरचंद व अन्य बनाम आईदान इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 जनवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 29 मार्च 2023 को प्रस्तुत की है। साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 3 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 92ए के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 42 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 58 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 363 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 364 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा संख्या 364/1 रकबा 01 बिस्वा वाके ग्राम फलोदी में अपने ¼ हिस्से बाबत पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दावा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 04 जनवरी 2023 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट की ओर से मूल वाद की कार्यवाही में नियुक्ति अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत कोई सूचना समुचित समय में नहीं दी गयी। वादग्रस्त आराजी के संबंध में अदालत हाजा में विचाराधीन अन्य अपील प्रकरण में नियुक्त अधिवक्ता द्वारा मूल दावे की स्थिति बाबत दिनांक 25 मार्च 2023 को अपीलाण्ट से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जानकारी मांगे जाने पर अपीलाण्ट ने दिनांक 26 मार्च 2023 को मूल वाद की कार्यवाही में नियुक्त अपने अधिवक्ता से फोन पर जानकारी मांगी गयी तो उन्होंने कुछ दिन पहले अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित हो जाना, मगर उसके बाद वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार किये जाने के कारण वे विचारण न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की नकल की अर्जी पेश नहीं कर पाना बताया। इस पर दिनांक 27 मार्च 2023 को अपीलाण्ट की ओर से नकल हेतु आवेदन किया और उसी दिन नकल प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत विधिवत जानकारी हुई और जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी। अतः अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियाद शुमार की जावे।

गुणावगुण के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात के मृतक खातेदार चूनाराम के देहान्त के समय उसके दो पुत्र एवं चार पुत्रियां थी, मगर विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 3 ने चूनाराम के केवल दो पुत्रियां होना ही जाहिर करते हुए दावा पेश किया। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत जबाबदावे में अपीलाण्ट द्वारा इस तथ्य को उजागर भी किया गया, मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई तनकी कायम नहीं की गयी। इस प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 3 की ओर से वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए एवं मृतक खातेदार चूनाराम के सभी वारिसान को पक्षकार संयोजित किये बिना ही दावा प्रस्तुत किया,जो खारिज किये जाने योग्य होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दावा स्वीकार करने में गम्भीर भूल की गयी है। अपीलाण्ट स्वयं सिलोकोसिस का मरीज है और सन् 2021 में कोविड-19 के कारण लम्बे समय तक बीमार रहने के कारण उसका स्वास्थ्य भी काफी खराब हो गया, इन दिनों वाद में तारीख-पेशियां भी मुकर्रर नहीं की गयी और लम्बे समय तक बिना तारीख तब्दील किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण लम्बित पडा रहा। उसके बाद विचारण न्यायालय द्वारा अनावश्यक जल्दबाजी करते हुए प्रकरण में अपीलाण्ट के साक्ष्य का अवसर बंद कर दिया गया और नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये। अतः आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन किया और कथन किया कि वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 3 वादग्रस्त आराजियात के खातेदार चूनाराम की पुत्री आशी पत्नी जयनारायण के वारिस है, चूनाराम के देहान्त के समय उनके वारिसान दो पुत्र आईदान एवं चौरुलाल तथा दो पुत्रियां आशी पत्नी जयनारायण एवं अलसी पत्नी कंवरलाल थे, जिनका चूनाराम की खातेदारी भूमि में ¼-¼ हिस्सा विरासतन बनता है। मगर चूनाराम के देहान्त के बाद जरिये फौतेदगी म्युटेशन संख्या 435 वादग्रस्त आराजियात मात्र चूनाराम के दो पुत्रों प्रतिवादी संख्या एक आईदानराम तथा प्रतिवादी संख्या 4 चौरुलाल के नाम दर्ज कर दी गयी, जबकि चूनाराम की पुत्रियों का भी पुश्तैनी आधार पर वादग्रस्त आराजियात में हक-हिस्सा बनता है। उक्त गलत इन्द्राजात के आधार पर प्रतिवादी संख्या चार चौरुलाल द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्से की भूमि (वादग्रस्त आरजियात के सम्पूर्ण रकबा का ½) प्रतिवादी संख्या एक आईदानराम के पक्ष में दिनांक 16 जून 1983 को हकतर्क कर दी, जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 620 स्वीकृत हुआ। जबकि वादग्रस्त आराजियात में पुश्तैनी आधार पर मात्र ¼ हिस्सा ही बनता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 के पुश्तैनी हिस्से से अधिक भूमि बाबत निष्पादित उक्त हकतर्कनामा शून्यप्रभावी है। उत्तरोत्तर गलत इन्द्राज के आधार पर सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजियात राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाते हुए प्रतिवादी संख्या एक आईदानराम द्वारा खसरा संख्या 42 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में कर दिया गया जिसके आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

म्युटेशन संख 1600 स्वीकृत हुआ। उक्त बेचान प्रतिवादी संख्या एक के पुश्तैनी हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या चार के पुश्तैनी हिस्से, जिसका हकतर्क हुआ, की सीमा से अधिक भूमि बाबत प्रारम्भ से ही शून्यप्रभावी है। विचारण न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य सबूत का समुचित विवेचन एवं विश्लेषण कर तनकीवार निष्कर्ष पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष जबाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद का समर्थन किया गया है और स्वयं द्वारा प्रतिवादी संख्या एक के पक्ष में कोई हकतर्कनामा निष्पादित नहीं किया जाना जाहिर करते हुए वादग्रस्त आराजियात में अपने हिस्से की भूमि बाबत खातेदारी हेतु काउण्टर क्लेम भी पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 6 से 15 की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा में चूनाराम की चार पुत्रियॉ होने के संबंध में पुत्रियों के नाम के अलावा अन्य कोई समुचित विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में किसी अन्य पुत्री (जो कि है ही नहीं) की ओर से कोई प्रार्थनापत्र बाबत बनाये जाने पक्षकार पेश हुआ है। चूनाराम की पुत्रियों द्वारा वादग्रस्त आराजियात में अपना हकतर्क किये जाने के संबंध में भी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आलौच्य अपील अपीलाण्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब का कोई समुचित एवं विश्वसनीय कारण भी प्रकट नहीं किया गया है। अंत में अधिक्ता-रेस्पो. ने आलौच्य अपील मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पो. संख्या 18 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर विदित होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन द्वारा वादग्रस्त आराजियात तथा चूनाराम के देहान्त के समय उसके दो पुत्र एवं दो पुत्रियॉ होने, स्वयं वादीगण चूनाराम की एक पुत्री आसी के वारिसान होने के आधार पर वादीगण का वादग्रस्त भूमि में ¼ हिस्सा होना जाहिर किया गया। अपने वाद की ताईद में वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 3 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष वादी संख्या एक के बयान लिपिबद्ध कराये गये और वादग्रस्त आराजी से संबंधित जमाबंदी संवत 2062-2065 प्रदर्श -1, म्युटेशन संख्या 435 प्रदर्श-2, म्युटेशन संख्या 620 प्रदर्श-3 व म्युटेशन संख्या 1600 प्रदर्श-4 दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तत किये गये। जिनके आधार पर खातेदार चूनाराम के देहान्त के बाद उसकी खातेदारी की भूमि आईदानराम व छौरूराम पिसरान चूनाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना प्रकट होता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 6 से 15 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपने जबाबदावा में खातेदार चूनाराम के आसी व अलसी के अलावा दो अन्य पुत्रियॉ हेमी व राधा होना अर्थात कुल चार पुत्रियां होना तथा सभी पुत्रियों द्वारा भाईयों के पक्ष में अपना हकतर्क कर दिया जाना अंकित किया गया है, मगर चार पुत्रियों के नाम के अलावा अन्य कोई समुचित विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, चूनाराम की पुत्रियों द्वारा अपने भाईयों के पक्ष में अपने हिस्से की भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बाबत हकतर्क किया जाने का भी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, **फौतेदगी म्युटेशन संख्या 435 में चूनाराम की पुत्रियों द्वारा अपने भाईयों के पक्ष में अपने हिस्से की भूमि बाबत हकतर्क किया जाने का कोई उल्लेख भी नहीं है** और न ही ऐसी किसी अन्य पुत्री की ओर से कोई प्रार्थनापत्र बाबत बनाये जाने पक्षकार प्रस्तुत हुआ है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से भी चूनाराम के दो पुत्र व दो पुत्रियॉ होना ही प्रकट होता है। चूंकि पक्षकारान हिन्दू होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात के खातेदार चूनाराम का निवर्सीयती देहान्त होने की स्थिति में उसके सभी पुत्र एवं पुत्रियों का वादग्रस्त आराजियात में समान हक-हिस्सा कानूनन बनता है। इसी आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा **तनकी संख्या एक** आया कस्बा फलोदी के खेत खसरा संख्या 42 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 58 रकबा 4 बीघा10 बिस्वा, खसरा संख्या 363 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 364 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 364/1 रकबा 1 बिस्वा कुल 10 बीघा 03 बिस्वा में वादीगण को ¼ हिस्सा भूमि चूनाराम के विधिक उत्तराधिकारी होने से बंट में आती है (जिम्मे वादीगण) का निष्कर्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 3 के पक्ष में पारित किया जाना अदालत हाजा की विनम्र राय में न्यायोचित पाया जाता है।

तनकी संख्या एक बाबत पारित निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान के जायज हिस्से से अधिक भूमि बाबत स्वीकृत म्युटेशन व हकतर्कनामा प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी होने के कारण **तनकी संख्या दो** आया वादीगण नामान्तरकरण संख्या 435 जो चूनाराम के विरासत का भरा गया को निरस्त करवाने व हकतर्कनामा दिनांक 16.06.83 को प्रतिवादी संख्या 4 चोरूलाल के ¼ हिस्से से अधिक के हिस्से को अपने अधिकारों के विरूद्ध प्रभावहीन व शून्य घोषित करवाने का अधिकारी है (जिम्मे वादीगण) एवं **तनकी संख्या तीन** आया वादीगण प्रतिवादी संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1 द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को खसरा संख्या 42 की सम्पूर्ण भूमि के करायेगये विकय पत्र को प्रतिवादी संख्या1 के जायज हिस्सा से अधिक हिस्सा के विकय पत्र को अपने अधिकारों के विरुद्ध शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाकर उसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1600 को निरस्त करवाने का अधिकारी है (जिम्मे वादीगण) बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष विधिसम्मतः पाये जाने से यथावत रखे जाते है।

तनकी संख्या एक पर आधारित **तनकी संख्या चार** आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है कि वह वादगस्त खसरान में दखलंदाजी नहीं करे (जिम्मे वादीगण) स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष भी न्यायोचित प्रतीत होने से यथावत रखा जाता है।

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या एक के पक्ष में निष्पादित हकतर्कनामा दिनांक 16 जून 1983 कूटरचित होना समुचित साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा साबित नहीं किया जा सका, और न ही इस किस्म का दस्तावेज कूटरचित होने अथवा नहीं होने के संबंध में विनिश्चयन करने का कोई अधिकार राजस्व न्यायालय को उपलब्ध है। अतः **तनकी संख्या 5** आया हकतर्कनामा दिनांक 16.06. 83 फर्जी व कूटरचित जिनके आधार पर प्रतिवादी संख्या1 को वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्सा की भूमि पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते (जिम्मे प्रतिवादी) का निष्कर्ष विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ न्यायोचित पारित किया गया है, जो यथावत रखा जाता है।

तनकी संख्या 6 आया चूनाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी संतान की सहमति से प्रतिवादी संख्या एक को वादग्रस्त खसरान भूमि दे दी थी (जिम्मे प्रतिवादी) को सिद्ध करने का दायित्व का था, जिसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समुचित साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्वहन नहीं किया गया है। अतः तनकी संख्या 6 बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष यथावत रखा जाता हैं

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी विधिसम्मतः एवं न्यायोचित पाये जाने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य नजर नहीं आता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 04 जनवरी 2023 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर